

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

E-Mail
द्वितीय स्मार

दीपक कुमार साहु,
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
(अग्रिम योजना अंचल/निरूपण अंचल सं0-1, पटना/
भवन अंचल, आरा/भवन अंचल, गया को छोड़कर)
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:- 15/1/2020

विषय:-

दिनांक-11.12.1990 के पूर्व से कार्यरत वैसे दैनिक श्रमपुस्त कर्मियों जिन्हें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-639, दिनांक-16.03.2006 में निहित प्रावधानों के आलोक में कार्यमुक्त कर दिया गया है, के कुल संख्या से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक-11(भ) अनु0, दिनांक-03.01.2020 एवं विभागीय पत्रांक-196(भ), दिनांक-09.01.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक-1874, दिनांक-10.12.2019 द्वारा दिनांक-13.11.2019 को 5:00 बजे अपराहन में विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति भेजी गई है तथा बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रतिवेदन की मांग की गई है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से स्मार पत्र सं0-2025, दिनांक-31.12.2019 भी प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बैठक में लिए गए निर्णयानुसार "वैसे कर्मिगण जो 11.12.1990 के पूर्व दैनिक श्रमपुस्त पर रखे गए हैं एवं संकल्प संख्या-639, दिनांक-16.03.2006 में निहित प्रावधानों के आलोक में बाद में कार्यमुक्त हो गए हैं, की कुल संख्या" से संबंधित प्रतिवेदन 03(तीन) दिनों के अंदर विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, ताकि ससमय विभाग का समेकित प्रतिवेदन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया जा सके। परंतु वांछित प्रतिवेदन अबतक सिर्फ चार (04) अंचलों अग्रिम योजना अंचल/ निरूपण अंचल सं0-1, पटना/भवन अंचल, आरा/भवन अंचल, गया से ही शून्य प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। बाकि अंचलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः पुनः स्मारित करते हुए अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर निश्चित रूप से विभागीय प्रधान सचिव के E-mail Id पर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार साहु)
सरकार के उप सचिव।